



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062021-227952
CG-DL-E-28062021-227952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2417]
No. 2417]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ 7, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

सं. 9/2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मदों हेतु आयात नीतिगत शर्तों में संशोधन।

का.आ. 2608(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के अंतर्गत मदों की नीतिगत शर्तों में संशोधन करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07019000	आलू, ताजा अथवा प्रशीतित: अन्य	प्रतिबंधित	भूटान से आलू का आयात दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत है।	भूटान से आलू का आयात दिनांक 30 जून, 2022 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत किया जाता है।

अधिसूचना का प्रभाव : भूटान से दिनांक 30 जून, 2022 तक एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत आलू का आयात बिना किसी लाइसेंस के अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/02/एएम-17/पीसी-2(ए)/ई-3200]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2021

No. 9/2015-2020

Subject: Amendment of import policy conditions for items under Exim code 07019000 of Chapter 07 of ITC (HS), 2017, Schedule –I (Import Policy).

S.O. 2608(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy conditions of items under Chapter 07 of ITC (HS), 2017, Schedule –I (Import Policy).

Exim code	Item Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
07019000	Potatoes, fresh or chilled: other	Restricted	Import of Potatoes from Bhutan is permitted freely, without any license, up to 31st January 2021	Import of Potatoes from Bhutan is permitted freely, without any license, up to 30th June, 2022.

Effect of the Notification: Import of potatoes under Exim Code 07019000, is allowed from Bhutan without license upto 30th June, 2022.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/02/AM-17/PC-2(A)/E-3200]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.